महत्वपूर्ण / तत्काल

संख्या–1649 / 9–9–13–162ज / 11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 25 अक्टूबर, 2013

विषयः 02 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की धनराशि अंतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–627 / 9–9–13–162ज / 11 दिनांक 15.07.13 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–क.नि.–5–391 / 11–2008–312(268) / 2001 दिनांक 07.02.2008 में 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण निकायों को किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद भी निकायों को 02 प्रतिशत अंतरित होने वाली स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण समय से न होने के कारण निकायों को विकास कार्य कराये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में पुनः अनुस्मरण कराते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त शासनादेश में निहित व्यवस्थानुसार नागर निकायों को अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण समय से कराये जाने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। आपका व्यक्तिगत ध्यान आपेक्षित है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निदेशक स्थानीय निकाय को इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अपने स्तर से भी स्टाम्प शुल्क की धनराशि का अन्तरण निकायों को कराये जाने के संबंध में प्रभावी अनुश्रवण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

1- गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।

go-y